



अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा धारा 82 द० प्र० सं०

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि श्री डॉ मिस्ट्री साहिद बां

पुत्र... शाहिद बां..... निवासी... चौटीला..... थाना... बीनावर

जिला... बलाणी..... ने भा० द० तं० की धारा ०।२।।२८।।२९..... अ० तं० ५०

NDPSAC

थाना... बालाणी N.C.B..... जिला..... बालाणी..... के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया

है/या सन्देह है कि उसने किया है और उस जारी किये गये गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त

डॉ मिस्ट्री साहिद बां डॉ शाहिद बां..... मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित

कर दिया गया है कि उक्त डॉ मिस्ट्री साहिद बां डॉ शाहिद बां..... फरार हो गया है या उक्त वारण्ट की

तामीली से बचने के लिये अपने आपको छिपा रखा है।

इसलिये इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि S.S.T. No - १०।।।२, भारत संघ एवं राजि द्वारा

के उक्त डॉ मिस्ट्री साहिद बां डॉ शाहिद बां..... से अपेक्षा की जाती है कि यह इस न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये ० पा - अपर लब्ज न्यायालयीश, न्या ० ला - २ बाराबंकी रस्थान में तारीख ३ - १ - २०२० को हाजिर हों।

संधर लाल न्यायालय
बाराबंकी



Suppl(A)
10(2)

Suppl(A) 10(2)
4/21

S. A. K. 012.00.

C.H. Beni/4
06/11/19



इकम च-८८
12/12/19

नं ८८
12/12/19.

हरताली

अपर जिला एवं संघ न्यायालयीश
न्यायालय संघीय-२ बाराबंकी